


प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख		तारीख जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी 18/8/21	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
28/1/21	28/1/21	28/1/21	21/1/21	21/1/21

FOLIO NOT AVAILABLE

स्वी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या

542 ई.

खाता नं० 26 / वार्ड सं० 9, जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो		(1) अधियोगी रयत कर हैसियत और कच्चे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंधत बात यदि हो।
		खेसरा संख्या	चौहदी				राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26/	अमक सिंह, पिता धन्ना- सिंह	542	३० निज ६ मोड़ी सिना	दोन दो- 1	0.2650				नौर सी.एन.बी. एक्ट द्वारा-85(2)(i) के मुकदमा नं०- -11(8) सन 2000-2001 के आदेशानुसार (326- 85 पै. (सी.एन.बी. एक्ट द्वारा पचासी पै. से) अलावे सेस लगान निर्धारित हुआ। निर्धारित लगान सन-1998-99 से वसूल होगा। हुआ राजस्व पदाधिकारी। गं कायमी
		2/	३० निज ६ निज	दोन एक- 5	0.4650				0.50 पचास- पैसे अलावे सेस

प्रतिलिपिक

तलना किया

intended to be True Copy

यह नया कलिंग राज्य अधिनियम 1958 के धारा 88(2) के अन्तर्गत 1928 के धारा 10(1) के अन्तर्गत तैयार हुआ और इसका अंतिम इकाई

